फर्द अहकाम
(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी, शिव

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
दानाराम पुत्र तगाराम जाति कुम्हार, निवासी मौखाबखुर्द तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा(06)		गोरधनराम पुत्र रुपाराम जाति जाट, निवासी चक मौखाब तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (08)

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन (धारा 251ए) मुकदमा नम्बर 192 / 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.06.2023	प्रार्थी / वादी / अपीलाण्ट के वकील **श्री बृजमोहन कुमावत** ने यह प्रार्थना पत्र / वाद / अपील धारा **251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेस्पोडेन्ट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 31/7/23 को पेश हो। [हस्ताक्षर] उपखण्ड अधिकारी शिव,बाड़मेर	
31.7.23	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा विप्रार्थीगण के नोटिस पेश किये, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता हरिराम चौधरी द्वारा विप्रार्थी संख्या 5 से 7 की ओर से वकालतनामा पेश किया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते धारा 251 A के तहत मौका रिपोर्ट हेतु ना D R शिव को तहरीर जारी होकर एव विप्रार्थी संख्या 5 से 7 के जवाब व शेष का इन्तजार होकर दिनांक 04.9.23 को पेश हो। [हस्ताक्षर] उपखण्ड अधिकारी शिव,बाड़मेर	
04.9.23	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी ... दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इल्तवा ... कर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 09.10.23 को पेश हो। [हस्ताक्षर]	

05.2026 पत्रावली पेश। वाकुलाय उपस्थित।

पत्रावली में उभयपक्ष अधिवक्ता की धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। विप्रार्थी वकील द्वारा अपनी बहस में धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार शिव द्वारा धारा 251 ए की मौका रिपोर्ट एकतरफा तैयार की गई है, जिसमें विप्रार्थीगण को सूचित नहीं किया गया एवं तहसीलदार शिव की मौका रिपोर्ट में भी विप्रार्थीगण को सूचित करने व विप्रार्थीगण को नोटिस भिजवाने के संबंध में कोई स्पष्ट अंकन भी नहीं किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा अपने जिस खातेदारी खेत खसरा नम्बर 77 में आवागमन हेतु धारा 251 ए के तहत रास्ता चाहा गया है, वर्तमान में विभाजन हो जाने से उक्त खसरा नम्बर 77 राजस्व रेकर्ड में नहीं होने से उक्त आवेदन चलने योग्य नहीं है तथा आवेदन में संयोजित प्रार्थीगण पक्षकार वर्तमान में उक्त खसरा नम्बर के संयुक्त रेकर्डेड खातेदार नही होने से पक्षकारान् का भी कुसंयोजन किया गया है। मूल खसरा नम्बर 77 के विभाजन के दौरान समस्त खातेदारान् द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अपनी सहमति से रास्ता हेतु भूमि छोडी गई, जो आगे ग्रेवल सड़क से जुड़ी है किन्तु मौका रिपोर्ट में उक्त तथ्य को छुपाया गया है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट एकतरफा तैयार होने व विप्रार्थीगण को सूचित किया जाकर सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाने एवं प्रार्थीगण का उक्त आवेदन मनगढत तथ्यों पर आधारित मात्र विप्रार्थीगण को परेशान करने की नियत से पेश किया हुआ होने तथा उक्त प्रार्थना पत्र विधिक रूप से चलने योग्य नहीं होने से खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट प्रार्थीगण को स्वीकार है। उक्त आवेदन पेश करने के समय राजस्व रेकर्ड में खसरा नम्बर 77 विद्यमान होने से उक्त रास्ता चाहा गया है। किन्तु वर्तमान में पक्षकारान् द्वारा आपसी सहमति से विभाजन कर दिया जाने के कारण नवीन खसरा नम्बर कायम हो गये है। प्रार्थीगण के आवागमन हेतु उक्त मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ता निकटतम एवं लघुतम है, जो प्रार्थीगण को स्वीकार है। विप्रार्थीगण द्वारा मात्र उक्त आवेदन को लम्बा करने तथा रास्ता कटाण की कार्यवाही रूकवाने हेतु धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश करने से उक्त प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज फरमाया जावें।

हमने उभयपक्ष को सुना एंव पत्रावली व तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। धारा 251 ए के तहत नियमानुसार मौका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व समस्त हितबद्ध पक्षकारान् को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में रिपोर्ट तैयार किये जाने का प्रावधान है, जबकि उक्त मौका रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि न तो पूर्व में विप्रार्थीगण पक्षकारान् को नोटिस भेजे गये तथा न ही सूचित किये जाने का अंकन किया जाने से उक्त रिपोर्ट एकतरफा तैयार की हुई प्रतीत होती है। साथ ही प्रार्थीगण द्वारा आवेदन विचारण के दौरान जिस खसरा नम्बर में आवागम हेतु रास्ता चाहा गया है, उक्त खसरा नम्बर का विभाजन करवा दिया गया है जिससे आवेदन की प्रकृति, पक्षकारान् व खसरा नम्बर प्रभावित हो चुके है। उक्त स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष खसरा नम्बर के अभाव में दिया जाना संभव नही होने से प्रार्थीगण नवीन खसरा नम्बर अनुसार रास्ते हेतु नया आवेदन कर रास्ता प्राप्त करने

के अधिकारी है। अतः उक्त स्थिति में उक्त आवेदन चलने योग्य नहीं होने तथा विधि से बाधित होने से विप्रार्थीगण की ओर से पेश धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया उक्त आवेदन इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। साथ ही प्रार्थीगण को वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार पक्षकार संयोजित कर नया आवेदन पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

पत्रावली फैसल होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
शिव, बाड़मेर